[2020] 8 एस. सी. आर. 1080

बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी

वी.

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस।

(सिविल अपील Nos.1429-1430/2020)

19 मार्च, 2020

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

भारतीय संविधान कला। 226 मुंबई नगरपालिका

निगम अधिनियम, 1888। 5 बी-एक दीवानी अपील में, प्रतिवादी और अपीलार्थी ने पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित मुंबई नगर निगम में काउंसलर की सीट पर चुनाव लड़ा - 1888 के अधिनियम की धारा 5 ख में उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी-यह एस के लिए दूसरे परंतुक में प्रदान किया गया है। 5 बी कि अगर कोई व्यक्ति उत्पादन करने में विफल रहता है

चुनाव की तारीख से छह महीने (अब बारह महीने) की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र, चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर दिया गया माना जाएगा और उसे काउंसलर होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा-23.02.2017 उत्तरदाता को निर्वाचित घोषित किया गया था -

जाँच समिति ने अपने दिनांकित 14.08.2017 के आदेश से प्रत्यर्थी के पक्ष में जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया प्रत्यर्थी ने दिनांकित 14.08.2017 के जाँच समिति के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने दिनांकित 14.08.2017 के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांकित 18.08.2017 का एक अंतरिम आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि वे इस संबंध में कोई कार्रवाई न करें।

रिट याचिका के लंबित होने तक प्रत्यर्थी के खिलाफ अयोग्यता-इसके बाद, उच्च न्यायालय ने जांच समिति के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया-एक अन्य दीवानी अपील में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों नं। 5 पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित मुंबई नगर निगम वार्ड के लिए चुनाव लड़ा-प्रतिवादी नं। 5 23.02.2017 पर निर्वाचित घोषित किया गया था-जांच समिति ने प्रतिवादी संख्या के दावे को खारिज कर दिया। 5 कि वह 'कोयारी जाति' से संबंधित है-प्रतिवादी नं। 5 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की -

उच्च न्यायालय ने 22.08.2017 दिनांकित अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया। 5 - बाद में, उच्च न्यायालय ने जांच समिति द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और घोषित किया कि प्रतिवादी नं। 5 कोयारी जाति से संबंधित था

1080 बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी वी। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस।

क्या दोनों दीवानी अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश, रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश और रिट याचिकाकर्ताओं को अपने पदों पर बने रहने की अनुमति, उच्च न्यायालय के यू/आर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर के आदेश थे। 226 और वैधानिक को देखते हुए पारित नहीं किया जा सकता था

एस की योजना। 5 बी-आयोजितः द पावर यू/आर्ट। 226 संविधान की धारा किसी कानून में किसी भी विपरीत प्रावधान और उच्च न्यायालय की यू/आर्ट की शक्ति को ओवरराइड करती है। 226 किसी कानून में किसी भी विपरीत प्रावधान द्वारा हटाया या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है-जब किसी नागरिक को सांविधिक प्राधिकरण के किसी भी निर्णय के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, तो उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का पूरा अधिकार क्षेत्र था ताकि समय बीतने पर याचिका निष्फल न हो-अंतरिम आदेश हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया जा सकता है।

दावा की गई राहत की सहायता ताकि रिट याचिका के अंतिम निर्णय के समय राहत निष्फल न हो-इसके अलावा, मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी को हटा नहीं देती है

संविधान के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता-उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे मामले में अंतरिम आदेश देने में कोई बाधा नहीं है जहां प्रतिवादियों के जाति दावे को छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम आदेश दिया, जैसा कि तब निर्धारित किया गया था-तत्काल मामले में, एस के तहत काल्पनिक माना जाता है। 5 चुनाव की पूर्वव्यापी समाप्ति का बी उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण लागू नहीं हो सका-उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश यू/आर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं थे। 226 संविधान से।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिएः

(i) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वैधानिक योजना के कारण हटा दिया गया है।

मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी?

((ii) क्या उच्च न्यायालय को पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अंतरिम या अंतिम आदेश, जिसका प्रभाव धारा 5 बी के तहत वैधानिक कल्पना को इस प्रभाव से बाधित करना है कि यदि जाति चुनाव की तारीख से छह महीने (अब बारह महीने) के भीतर जांच प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाता है, चुनाव को [2020] 8 एस. सी. आर. माना जाएगा।

जिसे पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर दिया गया है और उम्मीदवार को पार्षद होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा?

(iii) क्या 2017 की रिट याचिका No.2269 में दिनांकित 18.08.2017 का अंतरिम आदेश 14.08.2017 के आदेश पर रोक लगाता है।

प्रत्यर्थी सं. को निर्देश के साथ जाति जांच समिति। 2 4 को अयोग्यता की कोई कार्रवाई नहीं करने के साथ-साथ मामले को जाति जांच समिति को भेजने का अंतिम निर्णय, जिसके दौरान रिट याचिकाकर्ता को जारी रखने का हकदार माना गया था, क्या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर के आदेश थे और धारा 5 बी की सांविधिक योजना को देखते हुए पारित नहीं किए जा सकते थे? (iv) क्या उच्च न्यायालय का दिनांक 22.08.2017 का अंतरिम आदेश 2018 की रिट याचिका संख्या 145 में पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थियों को जाति जांच समिति के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के दिनांक 02.04.2019 के अंतिम फैसले के आधार पर रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें रिट याचिका को अनुमति दी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रिट याचिकाकर्ता अपने स्थान पर बने रहने का हकदार था, क्या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर के आदेश थे और धारा 5B में वर्णित सांविधिक योजना को देखते हुए पारित नहीं किए जा सकते थे? [पैरा 10] [1090-बी-जी]

2. वर्तमान मामले के तथ्यों में, चुनाव की पूर्वव्यापी समाप्ति की काल्पनिक कल्पना सामने नहीं आ सकी।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण संचालन, इसलिए धारा 5 बी द्वितीय परंतुक के तहत कल्पना को प्रतिवादी के चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त करने के लिए कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। अपीलार्थी का यह निवेदन कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को छह महीने/एक वर्ष की अवधि से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में या अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में ऐसी किसी भी बाधा को नहीं पढ़ा जा सकता है और न ही किसी भी राज्य अधिनियम से किसी भी प्रकार की बाधा को पढ़ा जा सकता है। [पैरा 51] [1114-बी-डी]

3. यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचता हैः

(i) न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है।

अनुच्छेद 226 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी v की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस।

संविधान और हमारे संविधान की मूल संरचना है। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र मौलिक, असाधारण और विवेकाधीन है। उच्च न्यायालय की नजर यह देखने पर है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर किसी संवैधानिक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय के कारण अन्याय हुआ है।

((ii) न्यायालय नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षक हैं और यदि वे त्याग करते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहेंगे। नागरिकों के प्रति उनका गंभीर कर्तव्य। अनुच्छेद 226 का दायरा बहुत व्यापक है और इसका उपयोग अन्याय को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति किसी संविधि में किसी भी विपरीत प्रावधान को ओवरराइड करती है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को किसी संविधि में किसी भी विपरीत प्रावधान द्वारा हटाया या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है।

((iv) जब किसी नागरिक को किसी के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार हो।

वैधानिक प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार, न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के पास यथास्थिति बनाए रखने का पूरा अधिकार क्षेत्र था ताकि समय बीतने पर याचिका निष्फल न हो। दावा की गई राहत की सहायता के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश हमेशा पारित किया जा सकता है ताकि रिट याचिका के अंतिम निर्णय के समय राहत निष्फल न हो।

(v) यह सच है कि मुंबई की धारा 5 बी के तहत एक साल की अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है।

नगर निगम अधिनियम अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन

छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले इस न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों के अनुसार, जाति जांच समिति ने पीड़ित व्यक्तियों द्वारा रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता वाले दावे को अवैध रूप से खारिज कर दिया था जिसमें रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई थी। उचित मामले में अंतरिम राहत देने की उच्च न्यायालय की शक्ति को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए सीमित नहीं माना जा सकता है, जो प्रस्तुत करने के लिए धारा 5 बी में परिकल्पित अवधि थी।

जाति वैधता प्रमाण पत्र। उच्च न्यायालय की शक्ति पर ऐसी किसी भी बाधा को धारा 5 बी के प्रावधान के आधार पर नहीं पढ़ा जा सकता है।

(vi) उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे मामले में अंतरिम आदेश देने में कोई बाधा नहीं है जहां [2020] 8 एस. सी. आर. का जाति दावा है।

(vii) वर्तमान मामले के तथ्यों में, चुनाव की पूर्वव्यापी समाप्ति की धारा 5 बी के तहत काल्पनिक माना जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण यह लागू नहीं हो सका। [पैरा 51] [1114-डी-एच; 1115-ए-एफ]

4. यह न्यायालय, उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों के लिए, निम्नलिखित तरीके से तैयार किए गए बिंदुओं का उत्तर देता हैः -

(i) मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा नहीं देता है।

(iii) 2017 की रिट याचिका No.2269 में दिनांकित 18.08.2017 का अंतरिम आदेश और साथ ही दिनांकित विवादित अंतिम निर्णय। 02.04.2019 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं थे।

(iv) 2018 की रिट याचिका 22.08.2017 में दिनांकित 22.08.2017 का अंतरिम आदेश और दिनांकित 02.04.2019 का अंतिम निर्णय नहीं था

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे आदेश। [पैरा 52] [1115-जी-एच; 1116-ए-सी]

ए. आई. आर 1955 एस. सी. 425: [1955] एस. सी. आर 1; पुनः: भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, ए. आई. आर 1965 एस. सी. 745: [1965] एस. सी. आर. 413; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, (1997) 3 एस. सी. सी. 261: [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; सचिव बनाम के माध्यम से भारत का चुनाव आयोग।

अशोक बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी बनाम। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा एंड ओ]

कुमार और अन्य (2000) 8 एस. सी. सी. 216: [2000] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 34; रोड एजेंसी प्राइवेट का एशियाई पुनरुत्थान

सीमित और एक अन्य वी। केंद्रीय जांच ब्यूरो,

(2018) 16 एससीसी 299: [2018] 2 एससीआर 1045-पर निर्भर।

पद्म सुंदरा राव (मृत) और अन्य बनाम। राज्य टी. एन.

और अन्य, (2002) 3 एससीसी 533: [2002] 2 एससीआर 383; के।

प्रभाकरण बनाम। पी. जयराजन, (2005) 1 एससीसी 754:

[2005] 1 एस. सी. आर. 296-लागू नहीं होता है।

शंकर पुत्र रघुनाथ देवरे (पाटिल) बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्य (2019) 3 एस. सी. सी. 220; राज्य

उड़ीसा बनाम। मदन गोपाल रूंगटा, [1952] एससीआर 28: एयर

1952 एससी 12; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम हरीश चंद्र

और अन्य, (1996) 9 एससीसी 309: [1996] 1 पूरक। एससीआर 260 ; बिहार लोक सेवा आयोग और एक अन्य v.

डॉ. शिव जतान ठाकुर और अन्य, (1994) सप। 3 एससीसी

220 [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 94-संदर्भित।

अनंत एच. उलहलकर और अन्य। वी. मुख्य चुनाव

आयुक्त और अन्य। , 2017 (1) बम सीआर 230 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 3 एससीसी 220

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1955] एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1959] एससीआर 995

पीछा किया।

पै

रा 22

[1965] एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[1997] 2 एससीआर 1186

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2000] 3 पूरक। एससीआर 34

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

उस पर भरोसा करें

[2018] 2 एससीआर 1045

पै

रा 32

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

पीछा किया।

पै

रा 38

[1952] एससीआर 28

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[1996] 1 पूरक। एससीआर 260

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[1994] 2 पूरक। एससीआर 94

संदर्भित किया गया है

पैरा

46 [2020] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2002] 2 एससीआर 383

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 49

[2005] 1 एससीआर 296

लागू नहीं होने वाला पैरा 51

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 1429

1430 2020 से।

डब्ल्यू. पी. सं. 3673/में दिनांकित 02.04.2019 के निर्णय और आदेश से

2018 और बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका की समीक्षा याचिका (एल) संख्या 20/2019 में दिनांकित 02.05.2019 आदेश।

के साथ

सी. ए. नं. 1431/2020

सी. ए. सुंदरम, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुधांशु

एस. चौधरी, चिंतामणि भंगोजी, योगेश कोल्टे, महेश पी. शिंदे, शकुल आर. घाटोले, दिलीप अन्नासाहब तौर, प्रमोद गोकुल कथाने, अमोल वी. देशमुख, अभिषेक गुप्ता, प्रहलाद परांजपे, मेहूल एम. गुप्ता, आदित्य सिधरा, आर. पी. गुप्ता, आशीष वाड, श्रीमती जयश्री वाड, सिद्धार्थ महाजन, सुश्री सुकृति जग्गी, अजय शर्मा, मैसर्स। जे. एस. वाड एंड कंपनी, अरुण आर. पेडनेकर, हितेश कुमार शर्मा, सचिन पाटिल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. इन अपीलों में जो सवाल उठा है वह यह है कि क्या

उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का आदेश पारित कर सकता है।

एक राज्य अधिनियम में उत्कीर्ण एक कानूनी कथा।

2. ये दोनों अपीलें आम फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

दिनांक 02.04.2019 प्रतियोगी द्वारा दायर रिट याचिकाओं में पारित किया गया उत्तरदाता। 2018 की रिट याचिका No.3673 में दायर 2019 की समीक्षा याचिका संख्या 20 में दिनांकित 02.05.2019 के आदेश को भी चुनौती दी गई है।

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः -

ए. सिविल अपील NoS.1429-1430/2020

बेनेडिक्ट डेनिस किनी बनाम ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा एंड ऑर्स।

i) प्रत्यर्थी के साथ-साथ अपीलार्थी ने चुनाव लड़ा

मुंबई नगर निगम में काउंसलर की सीट

पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित। 23.02.2017 पर, सीटी डेनिस किन्नी वी।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्वाचित घोषित किया गया। मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी के तहत उम्मीदवार को आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है।

नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को जाति वैधता प्रमाण पत्र। एक उम्मीदवार जिसने दाखिल करने की तारीख से पहले अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए जांच समिति को आवेदन किया हो

नामांकन लेकिन जिसे नामांकन दाखिल करने की तारीख को वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, उसे एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह चुनाव की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, जांच समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उस चुनाव को माना जाएगा - उसे पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा और उसे काउंसलर होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा छह महीने की अवधि को बारह महीने में संशोधित किया गया था।

जाँच समिति ने अपने दिनांकित 14.08.2017 के आदेश में कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्वी भारतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसलिए, इसने प्रतिवादी के पक्ष में जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। 2017 की रिट याचिका No.2269 प्रतिवादी द्वारा जाति जांच समिति के दिनांक 14.08.2017 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से प्रार्थना खंड (बी) और (सी) के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 02.04.2019 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी। और जाँच समिति के दिनांक 1 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए जाँच समिति को भेज दिया।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के फैसले द्वारा यह भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी सीट पर बने रहने का हकदार है, क्योंकि अयोग्यता के प्रभाव को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया गया था।

जाति जाँच समिति के आदेश और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

दिनांक 02.04.2019 के निर्णय और आदेश से व्यथित, 2019 की समीक्षा याचिका (L) No.20 अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी जिसे भी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश [2020] 8 एस. सी. आर. द्वारा खारिज कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित 02.05.2019। दोनों आदेश दिनांकित 02.04.2019 और 02.05.2019 अपीलार्थी द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है।

B. सिविल अपील No.1431/2020

श्रीमती. प्राची प्रसाद परब बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस।

i) अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 5, सुधा शंभू नाथ सिंह दोनों ने पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित वार्ड No.67 से आयोजित मुंबई नगर निगम के लिए चुनाव लड़ा। प्रत्यर्थी संख्या 5 को निर्वाचित घोषित किया गया था

23.02.2017 . जाँच समिति ने प्रतिवादी संख्या 5 के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह 'कोयरी' जाति से संबंधित है जो महाराष्ट्र राज्य में ओ. बी. सी. की श्रेणी में शामिल है। प्रत्यर्थी सं. 5 ने 2017 की रिट याचिका सं. 145 दायर की जिसमें सं. 1 का अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी को पारित आदेश के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 5 के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। जाँच समिति द्वारा।

(ii) उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के विवादित निर्णय द्वारा

जाति जांच समिति द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी और घोषणा की कि प्रत्यर्थी संख्या 5 का संबंध है

कोयारी जाति।

(iii) जाति जांच के क्रम को अलग रखने के लिए

समिति, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 अपनी सीट पर बने रहने की हकदार थी क्योंकि अयोग्यता का प्रभाव था

उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा स्थगित

रिट याचिका।

iv) 02.04.2019 दिनांकित निर्णय से व्यथित अपीलार्थी ने

इस अपील में आएं।

4. हमने दोनों अपीलों में विद्वान वकील और अपीलार्थी श्री सुधांशु एस. चौधरी को सुना है। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा की ओर से वरिष्ठ विद्वान श्री सी. ए. सुंदरम पेश हुए। श्री सिद्धार्थ आगर, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेश हुए। हमने महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।5. श्री सुधांशु एस. चौधरी, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी बनाम द्वारा जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता बताई।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

जाति जाँच समिति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर

चुनाव एक अनिवार्य आवश्यकता है जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अनंत एच. उलहलकर और अन्य मामलों में कहा था। बनाम मुख्य चुनाव

आयुक्त और अन्य। , 2017 (1) बमसीआर 230, जिसे इस न्यायालय द्वारा शंकर पुत्र रघुनाथ देवरे (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2019) 3 एससीसी 220 के मामले में मंजूरी मिल गई है। द.

पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय ने उन्हें अपनी सीट पर बने रहने की अनुमति देने में त्रुटि की। 6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अवधि को एक वर्ष से आगे नहीं बढ़ा सकता था। द.

मुंबई नगर निगम की धारा 5 बी के प्रावधान अनिवार्य होने के कारण, इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और किसी भी मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश से उक्त अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता था। उच्च न्यायालय धारा 5 बी में निहित वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता था।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम का तर्क है कि न्यायिक उपचार को उनके द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है।

वैधानिक प्रावधान। प्रतिवादी का न्यायिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उच्च न्यायालय ने समय के भीतर एक आदेश पारित किया और उच्च न्यायालय रिट याचिका में एक गलत आदेश पर विचार कर रहा था जिसके खिलाफ प्रतिवादी के अधिकार की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश सही ढंग से पारित किया गया था ताकि पूरी कवायद को निष्फल न बनाया जा सके।

8. वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिमांड आदेश के अनुसरण में अब बाद में जाति जांच समिति ने सत्यापित किया है

प्रत्यर्थी की जाति और आदेश उस तारीख से संबंधित होगा जब इसे शुरू में पारित किया गया था यानी 14.08.2017 पर। 9. सिविल अपील No.1431/2020 में प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है

किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा सीमित। प्रत्यर्थी संख्या 5 को उपचार से कम नहीं छोड़ा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय में चुनाव मामलों में भी अंतरिम आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति है। उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित आदेश की तारीख से संबंधित होना चाहिए। अदालतों के समक्ष निर्णय में लिए गए समय का उपयोग प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश प्रतिवादी संख्या 5 [2020] 8 एस. सी. आर. के अधिकारों की रक्षा के लिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टरिट याचिका की अनिवार्यता ताकि गलत आदेश को दरकिनार किए जाने की स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 5 को अपूरणीय स्थिति में नहीं रखा जा सके।

पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों से और

अभिलेख पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी की वैधानिक योजना के कारण हटा दिया गया है?

क्या उच्च न्यायालय को अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसका प्रभाव धारा 5 बी के तहत वैधानिक कल्पना को इस प्रभाव से बाधित करना है कि यदि जाति जांच प्रमाण पत्र चुनाव की तारीख से छह महीने (अब बारह महीने) के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा और -

उम्मीदवार को पार्षद होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा?

क्या 2017 की रिट याचिका No.2269 में जाति जांच समिति के दिनांकित 14.08.2017 के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी Nos.2 से 4 को अयोग्यता की कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश के साथ-साथ मामले को जाति जांच समिति को भेजने के लिए दिनांकित 02.04.2019 का अंतिम निर्णय, जिसके दौरान रिट याचिकाकर्ता को जारी रखने का हकदार माना गया था, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर के आदेश थे और धारा 5B की सांविधिक योजना को देखते हुए पारित नहीं किए जा सकते थे?

क्या उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांकित 22.08.2017 है

2018 की रिट याचिका संख्या 145 में पारित किया गया

प्रत्यर्थियों को जाति जांच समिति के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के दिनांक 02.04.2019 के अंतिम फैसले के आधार पर रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। याचिकाकर्ता अपनी सीट पर बने रहने की हकदार थी, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे आदेश थे और

धारा 5 बी में वर्णित सांविधिक योजना को ध्यान में रखते हुए पारित नहीं किया जा सकता था?

इससे पहले कि हम ऊपर उल्लिखित बिंदुओं पर पक्षों के लिए वकील की संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, हम बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी v.

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

पहले शासन करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों पर गौर करें।

मैदान। 12. संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा भाग IXA "नगर पालिकाओं" को संविधान में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 243 टी नगरपालिका में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। संवैधानिक (74 वें) संशोधन के परिणामस्वरूप,

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधानों को 1994 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 41 द्वारा सीटों के आरक्षण के लिए धारा 5 ए जोड़कर संशोधित किया गया था। धारा 5 बी को 2006 के महाराष्ट्र अधिनियम No.25 डब्ल्यू. ई. एफ. 19.08.2006 द्वारा जोड़ा गया था जिसमें "चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति" का प्रावधान था। जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आरक्षित सीट के लिए। धारा 5 बी के प्रावधान को 2008 के महाराष्ट्र अधिनियम No.13 द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन 2012 के महाराष्ट्र अधिनियम No.21 द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 08.10.2012 को फिर से जोड़ा गया था। 2015 के महाराष्ट्र अधिनियम No.13 द्वारा, "31.12.2013 से पहले" अभिव्यक्ति को 31.12.2017 से पहले की अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो W. E. F. 01.04.2015 से प्रभावी हुआ। उस समय, जब विचाराधीन चुनाव हुआ था, धारा 5 बी का निम्नलिखित प्रावधान लागू थाः

" 5 बी. आरक्षित सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा

जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्रः - प्रत्येक व्यक्ति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या, जैसा भी मामला हो, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को नामांकन पत्र के साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति के प्रावधानों के अनुसार जांच समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000 (नाग, 2001 का XXIII)। बशर्ते कि सामान्य या उप-चुनावों के लिए जिनके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 तारीख को या उससे पहले आती है।

दिसंबर, 2017, चुनाव कार्यक्रम के अनुसार

राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित, एक व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए जांच समिति को आवेदन किया है, लेकिन

जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वह नामांकन के साथ प्रस्तुत करेगा।

उसके द्वारा पसंद किए गए आवेदन की एक वास्तविक प्रति

((i)

वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच समिति या जांच समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य प्रमाण; और

((ख)

एक वचन पत्र जो वह प्रस्तुत करेगा, एक अवधि के भीतर

उनके चुनाव की तारीख से छह महीने, वैधता

जाँच समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

बशर्ते कि, यदि व्यक्ति उत्पादन करने में विफल रहता है

उनके चुनाव की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र, उनके चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा और उन्हें पार्षद होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

13. 2018 के महाराष्ट्र Io.LXV द्वारा धारा 5B में एक और संशोधन किया गया था। मुंबई नगर निगम की धारा 5 बी में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

" 2. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी में

(इसके बाद इस अध्याय में मुंबई निगम के रूप में संदर्भित किया गया है।

अधिनियम "), -

(क) पहले परंतुक में, खंड (ii) में, "छह महीने" शब्दों के स्थान पर "बारह महीने" शब्द रखे जाएँगे और 7 अप्रैल से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित माना जाएगा

(ख) दूसरे परंतुक में, "छह महीने" शब्दों के स्थान पर "बारह महीने" शब्द रखे जाएँगे और उन्हें माना जाएगा। 7 अप्रैल 2015 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया गया है;

(ग) दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक होगा -

जोड़ा गया, अर्थात्: " बशर्ते कि, पहले परंतुक के खंड (ii) के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किए गए वचन के संबंध में,

नगर परिषदें, नगर पंचायतें और औद्योगिक नगर पालिकाएँ (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2018, ऐसे उपक्रम में निर्दिष्ट "छह महीने" की अवधि को प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा:

" बारह महीने "। .

बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी वी। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

14. महाराष्ट्र अधिनियम सं. के दो और प्रावधान। 2018 के एल. एक्स. वी. पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो अध्याय 5 "विविध", यानी धारा 8 और 9 में निहित हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

" 8. इस अधिनियम में कुछ भी चुनाव आयोजित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनावों को प्रभावित नहीं करेगा या इसके लिए घोषित कार्यक्रम, की तारीख से पहले

मुंबई नगर निगम की शुरुआत,

नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर पालिका अधिनियम, 1965, जैसा कि प्रारंभ की ऐसी तिथि से पहले था।
9. कोई भी व्यक्ति, जिसने जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, लेकिन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले ऐसा प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है, उसे संबंधित नगरपालिका कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं माना जाएगा, अगर वह इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

इस अधिनियम का प्रारम्भः

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां राज्य चुनाव आयोग पहले ही इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख ने ऐसे व्यक्ति की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित किए या इस तरह के चुनाव के आयोजन के लिए कार्यक्रम घोषित किया।

15. अब, 2020 की सिविल अपील Nos.1429 1430 में मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, चुनाव आयोजित किया गया और प्रतिवादी घोषित किया गया।

आई. डी. 2 पर चुना गया और उस समय मौजूद धारा 5 बी के अनुसार, जाति जांच समिति द्वारा सत्यापित जाति जांच प्रमाण पत्र छह महीने के भीतर यानी आई. डी. 1 द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। जाति जांच समिति ने प्रतिवादी के दावे को दिनांक 1 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका संख्या 2269 दायर करके चुनौती दी गई थी। 18.08.2017Bombay पर उच्च न्यायालय ने मंजूरी दी रिट याचिका के प्रार्थना खंड (बी) और (सी) के संदर्भ में अंतरिम आदेश। 18.08.2017 दिनांकित अंतरिम आदेश का पैराग्राफ 5 निम्नलिखित प्रभाव से हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. मामले के उस दृष्टिकोण में, नोटिस जारी करें, जो दो के बाद वापस किया जा सकता है।

सप्ताह। इस बीच, शर्तों में अंतरिम राहत होगी।

प्रार्थना खंड (बी) और (सी) "।

16. रिट याचिका में प्रार्थना (बी) और (सी) निम्नलिखित के लिए थीं:

प्रभाव:

" (ख) वर्तमान याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए,

यह माननीय न्यायालय प्रभाव, संचालन पर रोक लगा सकता है

और विवादित निर्णय और दिनांकित पुरस्कार का कार्यान्वयन

14/08/2017 प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा पारित।

(ग) वर्तमान याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए,

यह माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादी को निर्देश दे सकता है

सं. 2 और 4 योग्यता आधारित कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

विवादित निर्णय और दिनांक 14/08/2017 पारित किए गए पुरस्कार पर

प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा "

17. 18.08.2017 दिनांकित अंतरिम आदेश का प्रभाव यह था कि

रिट याचिका के प्रतिवादी Nos.2 और 4 को जाति जांच समिति के दिनांकित 14.08.2017 के आदेश के आधार पर किसी भी योग्यता की कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बाद अयोग्यता पर रोक के कारण प्रत्यर्थी अपने पद पर बने रहे। रिट याचिका पर अंततः बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 02.04.2019 पर निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार करने वाला जाँच समिति का दिनांक 14.08.2017 का आदेश अस्थिर है। रिट याचिका को अनुमति दी गई और मामले को जांच समिति के पास भेज दिया गया।

पुनर्विचार। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 02.04.2019 के फैसले के माध्यम से यह भी विचार रखा कि चूंकि निर्वाचित उम्मीदवार की रक्षा करने के लिए अंतरिम आदेश दिया गया था, इसलिए दावे के अमान्य होने से होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, वे अपने पदों पर बने रहने के हकदार थे। निर्णय के अनुच्छेद 57 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

सवाल केवल इस बारे में है कि

" 57. ... .

दो याचिकाकर्ता अर्थात लिखित याचिका सं। 145/2018 और 3673/2018 जहाँ हमने रिट याचिका की अनुमति दी है और रद्द कर दिया है और

जाँच समिति द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दें। इन चुनावों

नगर निगम के लिए फरवरी 2017 में आयोजित किया गया था और

परिणाम 23 फरवरी 2017 को घोषित किया जाना था। इस न्यायालय द्वारा

19 अगस्त 2017 के अंतरिम आदेश ने सुरक्षा प्रदान की थी और

अमान्य होने से होने वाले परिणामों को स्थगित कर दिया है याचिकाकर्ता का दावा। उक्त अंतरिम आदेश बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी v के आलोक में।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

हमारे द्वारा पारित, याचिकाकर्ता ने पद पर बने रहना जारी रखा। याचिकाकर्ताओं के दावे को अनुचित तरीके से खारिज किया गया है और हमने उक्त आदेश को रद्द कर दिया है और एक

इस आशय की घोषणा कि वे उस जाति से संबंधित हैं जिसका वे दावा करते हैं और इसलिए उन्हें उक्त पद पर बने रहना चाहिए। अपने चुनाव के अनुसार, उपरोक्त स्थिति के आलोक में, रिट याचिका संख्या में याचिकाकर्ता। 145/2018 और 3673/2018 के हकदार हैं अपने पदों पर बने रहें क्योंकि अयोग्यता के प्रभाव को एक अंतरिम आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया था और हमने अब रद्द कर दिया है और निर्धारित किया है

विवादित आदेश को दरकिनार कर दें "।

18. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.08.2017 की अंतरिम आदेश की वैधता जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और दिनांक 02.04.2019 का अंतिम निर्णय हमारे समक्ष विचार के लिए है। इसी तरह के मुद्दे 2020 की सिविल अपील संख्या 1431 में उठाए गए हैं, जो सिविल अपील संख्या पर विचार है। 1429-1431 2020 का सिविल अपील 2020 की सिविल अपील No.1431 पर भी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त होगा।

19. क्या उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.08.2017 के अंतरिम आदेश को प्रतिवादी द्वारा जारी रखा जा सकता था-ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा

सीट भले ही जाति जांच प्रमाण पत्र जमा करने के लिए धारा 5 बी में निर्धारित छह महीने की अवधि 22.08.2017 पर समाप्त हो गई और क्या प्रतिवादी का चुनाव पूर्वव्यापी रूप से समाप्त हो जाएगा

22.08.2017 और एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद प्रतिवादी को अपनी सीट पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिसे छह महीने के स्थान पर महाराष्ट्र अधिनियम सं. 2018 का एलएक्सवी। ये विभिन्न पहलू हैं, जिनका जवाब इन अपीलों में दिए जाने की आवश्यकता है।

20. हमें पहले अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है और हमारे संविधान की मूल संरचना है। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र मौलिक, असाधारण और

विवेकाधीन। उच्च न्यायालय की नजर यह देखने पर है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर किसी संवैधानिक प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय के कारण अन्याय हुआ है। न्यायिक समीक्षा मामलों को रोकने के लिए बनाई गई है।

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा शक्ति का दुरुपयोग या किसी कर्तव्य की उपेक्षा। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग विभिन्न अधिकारों [2020] 8 एस. सी. आर. के प्रवर्तन के लिए किया जाता है।

जनता के लिए या सार्वजनिक/वैधानिक प्राधिकरणों को उन्हें सौंपे गए सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर करना। न्यायालय नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षक हैं और यदि वे नागरिकों के प्रति अपने गंभीर कर्तव्य का त्याग करते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहेंगे। अनुच्छेद 226 का दायरा बहुत व्यापक है और इसका उपयोग अन्याय को दूर करने के लिए किया जा सकता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं, जिन्हें नागरिकों के मौलिक और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, पाँचवाँ संस्करण, खंड 24 जो उच्च और निम्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति से संबंधित है, ने कहा कि कोई भी मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है। पैराग्राफ 619 में, हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में कहा गया हैः

" उच्च और निम्न न्यायालयों के बीच मुख्य अंतर

अधिकार क्षेत्र के संबंध में पाए जाते हैं। प्रथम दृष्टया, कोई भी मामला वरिष्ठ अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है।

न्यायालय जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि कार्यवाही के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि विशेष मामला विशेष न्यायालय के संज्ञान में है। सामान्य अधिकारिता के उच्च न्यायालयों में से किसी एक की अधिकारिता पर आपत्ति को यह दिखाना होगा कि अन्य न्यायालय के पास क्या अधिकार क्षेत्र है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उच्च न्यायालय द्वारा

इसका सामान्य अधिकार क्षेत्र अनावश्यक है। उच्च न्यायालय, के लिए

उदाहरण के लिए, सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का एक न्यायालय है और

दावों के कुछ वर्गों में अधीक्षण, और यह दिखाकर इसकी प्रधानता से वंचित नहीं किया जा सकता है कि कुछ अन्य न्यायालय

विशेष दावे पर विचार किया जा सकता था।

21. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में विचार के लिए आई मामले। संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण कोटा और एक अन्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 105 के संदर्भ में भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 विचार के लिए आया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 105 में प्रावधान किया गया है कि "इस अधिनियम (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) के तहत किए गए न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश अंतिम और निर्णायक होगा"। उपरोक्त मामले में तर्क दिया गया था कि न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय स्वयं उस न्यायालय या न्यायाधिकरण की ओर से कानून की त्रुटि को सही करने का प्रयास करने में कानून का उल्लंघन कर सकता है, जिसके रिकॉर्ड बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी v के तहत हैं।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

विचार करें। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 105 के बावजूद उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपनी पूरी सीमा तक बना हुआ है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 में और इस न्यायालय को प्रदत्त अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को विधायी उपकरण द्वारा नहीं लिया जा सकता है। पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 13. अनुच्छेद 226 और 136 उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को यह देखने के लिए सभी न्यायाधिकरणों के निर्णयों की जांच करने का अधिकार देता है कि क्या उन्होंने अवैध रूप से काम किया है। उस अधिकार क्षेत्र को एक विधायी उपकरण द्वारा नहीं लिया जा सकता है जो एक क़ानून को लागू करके एक न्यायाधिकरण को अवैध रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करने का इरादा रखता है कि

जिस क्षण न्यायाधिकरण यह कहने का विकल्प चुनता है कि वे वैध हैं, उसी क्षण अवैध कार्य वैध हो जाएंगे। एक अधिनियम या निष्कर्ष की वैधता कुछ ऐसी है जो एक निम्न न्यायाधिकरण के निर्णय के बाहर और उसके अलावा मौजूद है। यह देश के कानून का एक हिस्सा है जिसे अंतिम रूप से सीमित अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित या बदला नहीं जा सकता है। द.

केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की तुलना में देश का कानून क्या है और केवल वे ही अधिकार और अंतिमता के साथ निर्णय ले सकते हैं कि क्या कानूनी है और क्या नहीं। एक निम्न न्यायाधिकरण केवल एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है जिसकी समीक्षा की जा सकती है।

अनुच्छेद 226 और 136। इसलिए, धारा 105 के बावजूद अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और उनसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से बना हुआ है।

22. केरल शिक्षा विधेयक, 1957, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956 में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ को विचार करने का अवसर मिला था।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में एक प्रावधान के संदर्भ में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता। केरल शिक्षा विधेयक के खंड 33 में प्रावधान किया गया हैः

" 33. निषेधाज्ञा न देने के लिए न्यायालय-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी न्यायालय कोई भी अस्थायी अनुमति नहीं देगा।

निषेधाज्ञा या किसी भी कार्यवाही को रोकने वाला कोई अंतरिम आदेश देना।

जो इस अधिनियम के तहत लिया जा रहा है या लिया जाने वाला है।

23. अनुच्छेद 143 (1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने इस न्यायालय को चार प्रश्नों के लिए संदर्भित किया था - विचार करें। प्रश्न संख्या 4, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नलिखित प्रभाव से थाः

20] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" प्रश्न 4. क्या केरल शिक्षा विधेयक का खंड 33 या कोई प्रावधान है?

इसके किसी भी विवरण या किसी भी विस्तार में संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन करता है?

24. प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानमंडल का कोई भी अधिनियम अधिकार क्षेत्र और शक्ति को छीन या कम नहीं कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। केरल राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और संविधान के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक संशोधन से कम कुछ भी अनुच्छेद 226 सहित संविधान के किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई शक्ति एक प्रबल शक्ति है जो उन्हें कुछ शर्तों और परिस्थितियों में, किसी भी नियम या कानून के विपरीत अधीनस्थ अदालतों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को रिट, आदेश और निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। संविधान पीठ ने पैराग्राफ 35 में केरल राज्य की ओर से लिए गए रुख को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया हैः

" 35 .

XXXXXXXXXXXXXXXX

केरल राज्य अपने मामले के बयान में इनकार करता है

निम्नलिखित शब्द उस ओर से सभी इरादेः

" 52. केरल राज्य इस माननीय न्यायालय से चौथे प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देने के लिए कहता है, इस आधार पर कि अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई शक्ति उक्त खंड 33 से अप्रभावित रहती है।

53. केरल राज्य का तर्क है कि खंड 33

अनुच्छेद 226 आधारहीन है।
54. संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और एक संवैधानिक संशोधन से कम नहीं है जैसा कि नीचे दिया गया है।

संविधान संविधान के किसी भी प्रावधान को प्रभावित कर सकता है,

अनुच्छेद 226 सहित। उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक प्रबल अधिकार है

वे, कुछ शर्तों और परिस्थितियों में, किसी भी विपरीत नियम या कानून के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अधिकारियों को रिट, आदेश और निर्देश जारी करने के लिए।

25. इस न्यायालय ने केरल राज्य द्वारा की गई दलीलों के साथ अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि खंड 33 अधिस्थगन के अधीन है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधान। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी वी। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

" केरल राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि खंड 33 को संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। वह निर्माण के प्रसिद्ध सिद्धांत पर निर्भर करता है कि यदि

एक क़ानून में प्रावधान दो व्याख्याओं में सक्षम है तो उस व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो प्रावधान को अमान्य बनाने के बजाय वैध बना देगा। वह "कुछ समय के लिए अन्य कानून" शब्दों पर भरोसा करते हैं जो सकारात्मक रूप से इंगित करते हैं कि खंड में संविधान पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान को "कुछ समय के लिए लागू कानून" के रूप में कहना अनुचित होगा। वह-संविधान के अनुच्छेद 2,4,32 (3) और 367 (1) में दिखाई देने वाले "कानून" शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। जहाँ इसका अर्थ विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून होना चाहिए। वह सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (29) में "भारतीय कानून" की परिभाषा पर भी भरोसा करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि खंड 33 में "कानून" शब्द का अर्थ उसी तरह का कानून होना चाहिए जैसा कि 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता, अर्थात, 1908 में एक उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाया गया कानून।

अपने विधायी कार्य का प्रयोग और इसका उल्लेख नहीं कर सकते

संविधान। हम केरल राज्य के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत हैं। हम किसी भी कठिनाई से अवगत नहीं हैं-और हमें कोई भी नहीं दिखाया गया है-खंड 33 को संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रबल प्रावधानों के अधीन एक प्रावधान के रूप में समझने में और प्रश्न 4 का हमारा उत्तर आवश्यक है। नकारात्मक में रहें "।

26. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा जो निर्धारित किया गया है, वह किसी भी संदेह से परे है कि अनुच्छेद के तहत शक्ति

226 संविधान का अनुच्छेद किसी संविधि में किसी भी विपरीत प्रावधान को ओवरराइड करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को किसी संविधि में किसी भी विपरीत प्रावधान द्वारा हटाया या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। 27. गजेंद्रगडकर, सी. जे. इस न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से बोलते हुएः भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत,

ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 ने माना कि उच्च न्यायालय में न्यायिक शक्ति का अस्तित्व है।

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय नागरिक में न्यायालय में जाने के अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार करता है अन्यथा उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति को वस्तुतः अर्थहीन कर दिया जाएगा। पैराग्राफ 129 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 129. यदि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का अधिकार किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है, तो यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि एक नागरिक [2020] 8 एस. सी. आर. नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय को उन मामलों में भी अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें जहां उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उस ओर से न्यायिक शक्ति का अस्तित्व आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से नागरिक में उस ओर से न्यायालय में जाने के अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए; अन्यथा उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को प्रदत्त शक्ति वस्तुतः प्रदान की जाएगी।

अर्थहीन। यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायिक शक्ति

उच्च न्यायालयों को प्रदत्त किया गया है और यह न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, और इसलिए, उक्त न्यायिक शक्ति के अस्तित्व में ही आवश्यक रूप से नागरिक का अधिकार शामिल है कि वह उक्त शक्ति के समक्ष उचित तरीके से अपील कर सके।

मामला "।

28. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 3 एस. सी. सी. 261 में सात न्यायाधीशों की पीठ को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और विस्तार की जांच करने का अवसर मिला। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति

32 संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है संविधान, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संविधान पीठ अनुच्छेद 323 ए के खंड 2 (डी) और खंड की वैधता की जांच कर रही थी

3 ((घ) अनुच्छेद 323 ख, जिसमें उच्च न्यायालय की अधिकारिता शामिल नहीं है। अनुच्छेद 323 क खंड 2 (घ) निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया हैः

" 323 ए. प्रशासनिक न्यायाधिकरण। - (1) संसद, कानून द्वारा, के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है

संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवाद और शिकायतें।

या सरकार द्वारा नियंत्रित।

(2) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि -

XXXXXXXXXXXXXXX

(घ) विवादों के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर कर देगा या

खंड (1) में निर्दिष्ट शिकायतें;

XXXXXXXXXXX "बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी वी। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

29. अनुच्छेद 323 ए के खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323 बी के खंड 3 (डी) के प्रावधानों को असंवैधानिक माना गया था। पैराग्राफ 99 में,

संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम उस खंड को मानते हैं

2 ((घ) अनुच्छेद 323-क और अनुच्छेद 323-ख के खंड 3 (घ) में, जिस हद तक वे उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करते हैं और

संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय,

असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 और इसका अपवर्जन

इस तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में अधिकार क्षेत्र के खंड

अनुच्छेद 323-ए और 323-बी की समान सीमा तक,

अनुच्छेद 226/227 के तहत और अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय पर 32 संविधान की अलंघनीय बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है

हमारा संविधान। जबकि इस अधिकार क्षेत्र को हटाया नहीं जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण एक पूरक भूमिका निभा सकते हैं

अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन

संविधान..

99

30. सचिव बनाम के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग में।

अशोक कुमार और अन्य, (2000) 8 एस. सी. सी. 216, एक तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास एक याचिका पर विचार करने और उसके बाद अंतरिम निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर था। निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 द्वारा बनाए गए प्रतिबंध के संदर्भ में, इस न्यायालय ने हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथे संस्करण, खंड 10, पैरा 713 के अनुमोदन कथन को निम्नलिखित शब्दों में उद्धृत कियाः

" 15. उच्च न्यायालयों की संवैधानिक स्थिति और प्रकृति

उनके द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता पर विचार किया गया

एम. वी. एलिजाबेथ बनाम में इस न्यायालय का। हरवन निवेश और

ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड, 1993 सप. (2) एससीसी 433। यह माना गया कि

भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख के उच्च न्यायालय हैं। उनके पास है

मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार। उनके पास अंतर्निहित है और

पूरक शक्तियाँ। जब तक कि स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित न हो और

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय या विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के अधीन

न्यायालय, उच्च न्यायालयों के पास असीमित अधिकार क्षेत्र है जिसमें शामिल हैं -

अपनी शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र। निम्नलिखित

इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों से कानून का बयान (चौथा संस्करण। , खण्ड. 10 , पैरा 713) अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया थाः

" प्रथम दृष्टया, कोई भी मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि कार्यवाही के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि -

विशेष मामला विशेष अदालत के संज्ञान में है।

16. इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र राज्य की संप्रभु शक्ति से बना है। स्वतंत्र भारत के लोग संप्रभु हैं और न्यायिक शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों में व्यक्त किया गया है जिसका प्रयोग संविधान और उसके तहत कानूनों के तहत अदालतों द्वारा किया जाता है। इसे पिछले युग के शाही कानूनों के प्रावधानों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। न्यायालय तक पहुँच, जो प्रत्येक नागरिक में निहित एक महत्वपूर्ण अधिकार है, कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय की शक्ति के अस्तित्व का तात्पर्य है। जहाँ कानून मौन है और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, वहाँ अदालतें जो माना जाता है उसके अनुसार शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करती हैं न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत होना।

17. कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक बुनियादी संरचना है

संविधान-एक अवधारणा है जो अब मुद्दे में नहीं है।

31. इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में निर्धारित किया कि मनमानेपन और दुर्भावनापूर्ण तरीके से जनता द्वारा पारित सभी आदेशों की वैधता और प्रभावकारिता को नष्ट कर देता है अधिकारीगण। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 की अधिकारिता चुनाव के मामले में भी वर्जित नहीं है, हालांकि इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा कि

संविधान और एक साथ पढ़ा गया अधिनियम किसी नागरिक के अदालत का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है ताकि न्यायिक मंच का आह्वान करके गलत काम को ठीक किया जा सके। पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 30. संविधान के अनुच्छेद 226 पर अनुच्छेद 329 (बी) का किस हद तक प्रबल प्रभाव है? दोनों संविधान पीठों ने माना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में केवल एक ही उपाय का प्रावधान है-वह उपाय चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका द्वारा प्रस्तुत किया जाना है और किसी भी मध्यवर्ती चरण में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है। जिस अबाधित खंड के साथ अनुच्छेद 329 खुलता है, वह अनुच्छेद 226 को बाहर करता है जहां विवाद प्रश्नगत चुनाव का रूप लेता है (मोहिंदर सिंह गिल मामले का पैरा 25, (1978) 1 एस. सी. सी. 405 देखें)। संविधान और अधिनियम के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी v को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता है।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

एक नागरिक का अदालत से संपर्क करने का अधिकार ताकि न्यायिक मंच का आह्वान करके गलत काम को ठीक किया जा सके; फिर भी सबक यह है कि चुनाव के अधिकार और उपचार वैधानिक हैं, उनकी अनदेखी करें।

भले ही अनियमितताएं या अवैधताएं हों, और चुनाव की कार्यवाही के दौरान अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं

खत्म हो गए हैं। चुनाव की कार्यवाही के दौरान की गई किसी भी चीज़ पर दोतरफा हमले से बचना चाहिए-एक चुनाव के दौरान।

इस तरह के दोतरफा हमले के लिए कार्यवाही और दूसरी समाप्ति पर, यदि अनुमति दी जाती है, तो यह कार्यप्रणाली को अनुचित रूप से बाधित या बाधित करेगा। लोकतंत्र "।

32. हम रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के एशियन रिसर्फेसिंग में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक और फैसले पर ध्यान दे सकते हैं और

एक अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2018) 16 एस. सी. सी. 299। उपरोक्त मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (3) (सी) के प्रावधानों के आलोक में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया गया। हम सबसे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) को नोटिस कर सकते हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

XXXXXXXXXXXXXX

(3) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973

(ग) कोई भी अदालत किसी अन्य आधार पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी और कोई भी अदालत जांच, मुकदमे, अपील या अन्य मामलों में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

कार्यवाही "।

33. इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के साथ-साथ सभी उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद होने के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को एक संदर्भ दिया गया था। उपरोक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाता है, 1988 के अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) में निहित निषेध के संबंध में स्थगन का आदेश पारित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि धारा 19 (1) (सी) के बावजूद, उच्च न्यायालय एक उपयुक्त मामले में रोक लगा सकता है और निर्धारित कर सकता है

पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 28. इस प्रकार हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय के पास एक उचित मामले में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ चुनौती पर विचार करने और रोक लगाने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इस तरह की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और रोक कब दी जानी चाहिए। आगे विचार करने की आवश्यकता है। "

34. न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने एक सहमति वाली राय दी और

भ्रष्टाचार निवारण की धारा 19 निकालने के बाद

1988 अभिनिर्धारित किया कि धारा 19 (3) (सी) को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की अक्षमता पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। पैराग्राफ 52 में और

लोइंग निर्धारित किया गया हैः

" 52. यह सवाल कि क्या उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति अधिनियम के तहत मुकदमे पर रोक लगाने के लिए उपलब्ध होगी, हमें इस जांच की ओर ले जाती है कि क्या ऐसी अंतर्निहित शक्ति सांविधिक कानून के विपरीत सांविधिक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह सराहना की जानी चाहिए कि उच्च न्यायालय संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं और अभिलेख न्यायालय हैं जिनके पास सभी शक्तियां होंगी।

अवमानना को दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की

स्वयं (अनुच्छेद 215 देखें)। उच्च न्यायालय, अभिलेख का एक उच्चतर न्यायालय होने के नाते, अपने समक्ष उठाए जाने पर अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्नों पर विचार करने का हकदार है। ए द्वारा एक निर्देशात्मक मार्ग में

इस न्यायालय की शक्तियों, विशेषाधिकारों और

राज्य विधानमंडलों की उन्मुक्ति, 1964 की विशेष संदर्भ संख्या 1 में, गजेंद्रगडकर, सी. जे. ने अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. आर पी. 499 : एयर पी। 789 ,

पैरा 138)

" 138. इसके अलावा, किसी उच्चतर अभिलेख न्यायालय के मामले में, यह न्यायालय को विचार करना है कि क्या कोई मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के विपरीत, उच्च न्यायालय को अपने लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार है। हैल्सबरी कहते हैं, "प्रथम दृष्टया कोई भी मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है।"

जब तक कि यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि कार्यवाही के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि विशेष मामला विशेष अदालत के संज्ञान में है। 9 , पी। 349] . "

54. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान द्वारा स्थापित न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे न्यायालय में इसलिए निहित है क्योंकि यह एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय है, न कि इसलिए कि यह बेनिडिक्ट डेनिस किन्नी V द्वारा प्रदान की गई है।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता। यह एक शक्ति है जो निहित है

संविधान स्वयं, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 215 के तहत वनों से आच्छादित है। साथ ही, जैसे कि उच्च न्यायालयों के पास शक्ति है, नहीं, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य है

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार,

नागरिक संविधान के अनुच्छेद 21 में भी आवाज उठाएगा। यह संवैधानिक स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 19 (3) (सी)

दायर याचिका की रखरखाव पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष

प्रक्रिया, धारा 19 (3) में गैर-अवरोधक खंड केवल लागू होता है

दंड प्रक्रिया संहिता के लिए।

35. दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का निष्कर्ष

अनुच्छेद

36 ((घ) अलग रखा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 36 (डी) में, जिसके फैसले पर इस न्यायालय के समक्ष आपत्ति जताई गई थी, कहा थाः

" 36. हमारी उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित शर्तों पर संदर्भः

(घ) भले ही दंड संहिता की धारा 482 के तहत कोई याचिका हो।

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रक्रिया या रिट याचिका भारत का उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाता है।

ठहराव का आदेश पारित किया जाना चाहिए

1988 के अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) में निहित निषेध।

36. न्यायमूर्ति नरीमन अंततः के फैसले को संदर्भित करने के बाद

एल. चंद्र कुमार (ऊपर) ने पैराग्राफ 36 (डी) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया है। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) में प्रतिबंध के बावजूद,

अंतरिम आदेश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति से निपटा है जब एक वैधानिक

प्रावधान, अर्थात, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) स्थगन आदेश पारित करने में एक विशिष्ट बाधा पैदा करती है। जब उपरोक्त के बावजूद वैधानिक बार, उच्च न्यायालय को एक अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र माना गया था, वर्तमान मामले में, हम एक वैधानिक योजना में चिंतित हैं जहां उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने में कोई स्पष्ट या निहित बाधा नहीं है।

37. धारा 5 बी के अनुसार, आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार,

जिसने नामांकन दाखिल करने की तारीख से पहले वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच समिति को आवेदन किया है, वह चुनाव की तारीख से छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बाध्य है (अब प्रतिस्थापित [2020] 8 एस. सी. आर.

बारह महीने तक), जिसमें विफल रहने पर उनका चुनाव पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा। धारा 5 बी का दूसरा प्रावधान एक काल्पनिक धारणा बनाता है, जो तब संचालित होता है जब कोई व्यक्ति अपने चुनाव की तारीख से छह महीने/बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ समाप्ति से पहले चुनाव की तारीख से छह महीने की अवधि, यानी 23.02.2017, जाति जांच समिति ने प्रतिवादी के दावे और एक रिट को खारिज कर दिया है।

प्रत्यर्थी द्वारा छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने छह महीने की अवधि के भीतर 18.08.2017 पर एक अंतरिम आदेश भी दिया, जिसकी समाप्ति के बाद काल्पनिक कल्पना अस्तित्व में आनी थी। चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त करने की एक काल्पनिक कल्पना लागू होने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था। छह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र दाखिल न करने के परिणाम को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया था। अपीलार्थियों द्वारा उपरोक्त अंतरिम आदेश दिनांक 18.08.2017 पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया जाता है। जाति जाँच समिति, जो नागरिकों द्वारा दावा की गई जाति को सत्यापित करने के लिए राज्य अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है, यदि नागरिक के दावे को अवैध रूप से अस्वीकार कर देता है, तो क्या नागरिक को न्यायिक उपचार लेने का कोई अधिकार नहीं है? क्या जाति के दावे को अवैध रूप से अस्वीकार किया जा सकता है

छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद नागरिक एक उचित पूर्ति है? जब किसी नागरिक को वैधानिक प्राधिकरण के किसी भी निर्णय के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, तो न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को यथास्थिति बनाए रखने का पूरा अधिकार क्षेत्र था ताकि समय बीतने पर याचिका निष्फल न हो। अंतरिम आदेश हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया जा सकता है ताकि रिट याचिका के अंतिम निर्णय के समय राहत न मिल सके।

निष्फल हो जाते हैं।

38. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि उच्च न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रकट विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ

और अन्य, (1997) 5 एस. सी. सी. 536 ने पैराग्राफ 108 में निम्नलिखित शब्दों में इस तरह के पूर्वसर्ग को निर्धारित किया थाः

" 108 .

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

(x)...

. जहाँ तक उच्च के अधिकार क्षेत्र की बात है

संविधान के अनुच्छेद 226 या इस न्यायालय के तहत न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, यह अप्रभावित रहता है

अधिनियम के प्रावधान। फिर भी, न्यायालय, अभ्यास करते समय

उक्त अनुच्छेदों के तहत अधिकार क्षेत्र, का उचित सम्मान है

अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रकट विधायी आशय। द रिट

याचिका पर स्वाभाविक रूप से विचार किया जाएगा और इसका निपटारा किया जाएगा।

इस कारण से कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है कानून के शासन को प्रभावी बनाने के लिए और इसे निरस्त करने के लिए नहीं। यहाँ तक कि

उक्त संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में कार्य करते हुए, उच्च

अनुच्छेद 226 के तहत कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कल्पना की गई है न कि उनका उल्लंघन करो। "

39. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस पर बहुत जोर दिया है -

अनंत एच. में बंबई उच्च न्यायालय की कुल पीठ का निर्णय।

अल्कर और ओआरएस। (ऊपर)। तीन प्रश्न, जिनका उल्लेख किया गया था

पूर्ण पीठ इस प्रकार थीः

" 2. इस संदर्भ की उत्पत्ति 11 अगस्त का आदेश है।

2015 डिवीजन बेंच द्वारा वर्तमान रिट याचिका में किया गया (कोरमः नरेश एच. पाटिल और वी. एल. अचलिया, जे. जे.)। यह आदेश लेता है

उपरोक्त संघर्ष का संज्ञान और राय है कि मामला इस पर विचार करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया कि क्या

एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है। आदेश भी ध्यान दें कि कानून के निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैंः

जाति वैधता प्रस्तुत करने के लिए औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र प्रकृति में अनिवार्य है?

((ii) क्या पार्षद के रूप में चुने गए व्यक्ति की ओर से विफलता छह साल की अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

जिस तारीख को उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था, उसके महीनों बाद, तथ्यों और परिस्थितियों और उससे परे की संभावनाओं के बावजूद

स्वचालित रूप से उनके चुनाव की समाप्ति के साथ पूर्वव्यापी प्रभाव?

((iii) क्या जांच समिति द्वारा निर्वाचित पार्षद के जाति दावे को निर्धारित अवधि के बाद भी मान्य किया जाएगा।

स्वचालित रूप से ऐसे पार्षद को समाप्त कर दिया जाता है

पूर्वव्यापी संचालन? "

40. उपरोक्त मामले में पूर्ण पीठ महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक जहाज अधिनियम, 1965 की धारा 9 पर विचार कर रही थी, जो मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 बी के समान है। विस्तृत जानकारी के बाद उच्च न्यायालय नेउपहास ने माना है कि छह महीने की अवधि में जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है। पैराग्राफ 9 और 100 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 98. वर्तमान मामले में भी विधायिका ने धारा 9 ए को अधिनियमित करने में एक वैधानिक कल्पना का प्रावधान किया है, जो अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट है "उनके चुनाव को माना जाएगा

पूर्वव्यापी रूप से समाप्त किया जाता है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है

पार्षद "। वैधानिक कल्पना को अपना पूरा खेल खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह विचार रखने के लिए कोई अन्य प्रावधान या कारण नहीं बताया गया है कि धारा 9-ए के दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित परिणाम स्वचालित नहीं हैं या यह स्थापित होने के बाद कि निर्वाचित व्यक्ति छह की निर्धारित अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है, आगे किसी निर्णय की आवश्यकता होगी।

उनके चुनाव की तारीख से महीनों। 99. जाँच समिति द्वारा निर्वाचित पार्षद के जाति दावे को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक मान्य किए जाने से धारा 9-ए के दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित वैधानिक परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पूर्वव्यापी माना जाता है।

ऐसे पार्षद के चुनाव की समाप्ति और पार्षद होने के कारण उसकी अयोग्यता। अतः बाद में सत्यापन या वैधता प्रमाण पत्र जारी करना पार्षद के चुनाव की बहाली के उद्देश्य से अप्रासंगिक होगा, लेकिन इस तरह के सत्यापन से वह स्पष्ट रूप से अपने चुनाव की समाप्ति और इसके परिणामस्वरूप हुई रिक्ति के कारण होने वाले चुनाव लड़ने का हकदार होगा। जिससे।

100. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 9-ए के दो प्रावधानों में निर्धारित छह महीने की समय सीमा, जिसके भीतर एक निर्वाचित व्यक्ति को जांच समिति से वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अनिवार्य है।

संपादित करें डेनिस किन्नी बनाम। ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

इसके अलावा, धारा 9-ए के दूसरे परंतुक के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति

छह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल जिस तारीख से वह चुना जाता है, उसके चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

पार्षद होने के लिए।

उनके चुनाव की ऐसी पूर्वव्यापी समाप्ति और

पार्षद होने के लिए अयोग्यता स्वतः होगी और

निर्धारित अवधि के बाद उनके जाति दावे का सत्यापन नहीं होगा।

जिसके परिणामस्वरूप उनके चुनाव की बहाली हुई।

उठाए गए प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

41. बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला आया

शंकर पुत्र रघुनाथ देवरे में इस न्यायालय के समक्ष विचार

1) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2019) 3 एससीसी 220। न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए बंबई उच्च न्यायालय की पीठ के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि क़ानून कानून में एक अनिवार्य संशोधन को शामिल करता है। पैराग्राफ 7,8 और 9 में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया

विंगः

" 7. कानून के उपरोक्त मुख्य प्रावधान के लिए एक परंतुक था

वैधता प्रमाण पत्र के अभाव में भी उनका नामांकन बशर्ते कि वह नामांकन के साथ जांच समिति के समक्ष अपने द्वारा दायर आवेदन की एक वास्तविक प्रति संलग्न करता है और

एक वचन पत्र जो वह छह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा उसके चुनाव की तारीख से महीनों, वैधता प्रमाण पत्र

जाँच समिति द्वारा जारी किया गया।

8. एक दूसरा परंतुक है जो इस बात पर विचार करता है कि संबंधित व्यक्ति (ओं) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता पर उसके चुनाव को माना जाएगा -

पूर्वव्यापी रूप से समाप्त कर दिया गया है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा

पार्षद होने के लिए "।

9. हमने बहुत विस्तृत तर्क को पढ़ा और उस पर विचार किया है।

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया

निष्कर्ष निकालते हैं कि क़ानून के उपरोक्त प्रावधान एक

कानून में अनिवार्य आवश्यकता। उच्च न्यायालय, हमारे सुविचारित विचार में, उपरोक्त निष्कर्ष पर बहुत सही आया आगे यह पता लगाना कि व्यक्तिगत मामलों में इक्विटी प्रावधान को निर्देशिका के रूप में रखने के लिए एक अच्छा आधार नहीं होगा। वास्तव में, उच्च [2020] 8 एस. सी. आर.

न्यायालय ने भारी कारणों से अपने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रावधानों को निर्देशिका के रूप में पढ़ना वस्तुतः इसे निरर्थक बनाने के बराबर होगा।

42. इस न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि कुछ मामलों में कठिनाई प्रावधान को निर्देशिका रखने के लिए एक अच्छा आधार नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वधारणा पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि धारा 5 बी के प्रावधान के तहत छह महीने (अब बारह महीने) की अवधि के भीतर जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है और निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं करने के परिणाम चुनाव की स्वतः पूर्वव्यापी समाप्ति है।

तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कानून की उपरोक्त घोषणा एक बाध्यकारी मिसाल है। प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसमें विफल रहने पर चुनाव स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ेगा। हम, वर्तमान मामले में, उपरोक्त मामले में निर्धारित कानून के बारे में कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं लेना चाहते हैं। हालाँकि, इन अपीलों में निर्धारण के लिए जो बिंदु उत्पन्न हुआ है, वह अलग है, यानी कि क्या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए धारा 5 बी द्वारा परिकल्पित उपरोक्त परिणामों को एक अंतरिम पारित करके या

अंतिम निर्णय। शंकर पुत्र रघुनाथ देवरे (पाटिल) (उपर्युक्त) मामले में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के साथ-साथ इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह मुद्दा कि क्या उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत निर्णय के परिणामों पर रोक लगाने का अधिकार है।

प्रावधान पर न तो विचार किया गया और न ही जवाब दिया गया। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि धारा 5 बी के परंतुक में परिकल्पित कल्पना के परिणामों पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं है, तो चुनाव स्वतः पूर्वव्यापी रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्तमान मामले में दोनों अपीलों के तथ्यों में, धारा 5 बी के दूसरे परंतुक में निहित कल्पना को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दिया गया था/बाधित किया गया था, इसलिए पूर्वव्यापी समाप्ति नहीं हो सकती थी। 43. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सुधांशु एस. चौधरी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय को आदेश जारी रखने का अधिकार नहीं था।

रिट याचिकाकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के बाद अंतरिम राहत दी गई

धारा 5 बी के तहत वैधानिक योजना के अनुसार चुनाव की तारीख से। यह सच है कि एक वर्ष की अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता वैधानिक आवश्यकता है, लेकिन अवधि की समाप्ति से पहले हमारे सामने मामले के तथ्यों में, जाति जांच समिति ने अवैध रूप से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा रिट याचिका दायर करने के दावे को खारिज कर दिया है जिसमें रिट याचिका अंतरिम राहत बेनेडिक्ट डेनिस किन्नी v.

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। उचित मामले में अंतरिम राहत देने की उच्च न्यायालय की शक्ति को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए सीमित नहीं माना जा सकता है, जिसकी अवधि के लिए धारा 5 बी में परिकल्पना की गई थी। जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। बिजली पर ऐसी कोई बंधन नहीं है

उच्च न्यायालय की धारा को धारा 5 बी के प्रावधान के आधार पर पढ़ा जा सकता है।

44. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की निर्भरता

उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा, 1952 एस. सी. आर. 28 के मामले में इस न्यायालय का निर्णयः ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 12 ने अंतरिम राहत दी

केवल मुख्य राहत की सहायता में और सहायक के रूप में प्रदान किया जा सकता है, जो अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई थी, जो मुख्य राहत की सहायता और सहायक थी, जो अपीलार्थी को उसके अधिकारों के निर्धारण के समय दी जा सकती थी।

45. श्री चौधरी आगे प्रस्तुत करते हैं कि यू. पी. राज्य और अन्य बनाम में यह न्यायालय। हरीश चंद्र और अन्य (1996) 9 एस. सी. सी. 309

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कानून के विरुद्ध कोई आदेश नहीं हो सकता है, इसलिए, उच्च न्यायालय अनिवार्य लिखित आदेश जारी नहीं कर सकता था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक अंतरिम आदेश था। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 02.04.2019 द्वारा पारित अंतिम निर्णय में, उच्च न्यायालय का निर्देश है कि प्रतिवादी को उनके निर्वाचित कार्यालय में जारी रखा जाए। जिस पद के लिए उत्तरदाताओं को चुना गया था, उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वर्तमान में जारी रखने के लिए कोई निर्देश जारी करने का मामला नहीं था।

कार्यकाल की अवधि से परे उत्तरदाता। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश उत्तरदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का अभ्यास था।

46. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

डॉ. शिव जतान ठाकुर और अन्य, (1994) सप। 3 एससीसी 220। इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पैराग्राफ 38 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

" 38. .....

..... यह सच है कि संविधान का अनुच्छेद 226

उच्च न्यायालय को अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमाणपत्र, यथास्थिति वारंट और अनिवार्य या इनमें से किसी भी प्रकार के रिट शामिल हैं।

के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए

संविधान या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, लेकिन जारी करने का ऐसा विवेकाधिकार

उच्च न्यायालय को दिए गए निर्देश या रिट या आदेश

अनुच्छेद 226 एक न्यायिक विवेकाधिकार है जिसका प्रयोग [2020] 8 एस. सी. आर. के आधार पर किया जाना है।

अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक मानदंडों का, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अंतरिम आदेश देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था जो किसी भी तरह से मुख्य आदेश देने में न्यायालय की मदद या सहायता नहीं कर सकता था।

रिट याचिका में राहत मांगी गई।

47. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त पूर्वधारणा से यह स्पष्ट है कि इस तरह का अंतरिम निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद के तहत पारित किया जा सकता है। 226 , जो रिट याचिका में मांगी गई मुख्य राहत देने में न्यायालय की मदद या सहायता कर सकता था। वर्तमान मामले में, जाति जांच समिति के फैसले को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतियों में प्रथम दृष्टया सार पाते हुए अंतरिम आदेश दिया, जो अंततः जाति जांच समिति के फैसले को दरकिनार करते हुए अंतिम आदेश में सफल रहा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश मुख्य राहत की सहायता में था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था।

48. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 11 ए के स्पष्टीकरण के समान धारा 5 बी के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें मुख्य प्रावधान में उल्लिखित अवधि की गणना में न्यायालय द्वारा दी गई रोक की अवधि शामिल नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 ए का प्रावधान, जो इस अवधि के लिए प्रावधान करता है

जिसके भीतर एक पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में एक विधायी योजना, धारा 11 ए का स्पष्टीकरण शामिल है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि धारा 11 ए में निर्दिष्ट दो साल की अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में कोई कार्रवाई या कार्यवाही की जानी है, न्यायालय के एक आदेश द्वारा बताई गई है।

बहिष्कृत किया जाएगा। धारा 11 ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संदर्भ में एक विधायी योजना है, जिसका प्रावधान पूरी तरह से अलग है और इसके लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति को कोई समर्थन नहीं देता है।

अपीलार्थी।

49. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निर्णय पर भरोसा किया है

यह न्यायालय पद्म सुंदर राव (मृत) और अन्य बनाम में है। टी. एन. और अन्य राज्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 533 इस पूर्व स्थिति के लिए कि विधायी मामले को न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 14 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

" 14. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह विधायिका के हित में है।

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करें, संशोधित करें या निरस्त करें। (ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम देखें। पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, (2000) 5 एस. सी. सी. 515) विधायी मामले की छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा 6 (1) की भाषा सरल और असंदिग्ध है। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नरसिंहैया मामले (1996) 3 एस. सी. सी. 88 में किया गया था। में।

नंजुदैया मामला, (1996) 10 एस. सी. सी. 619 उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से समय अवधि चलाने के लिए अवधि को और बढ़ाया गया था। इस तरह के दृष्टिकोण का धारा 6 (1) की भाषा के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है। यदि विचार स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई मामला न केवल धारा 6 (1) के परंतुक के खंड (i) और/या खंड (ii) द्वारा कवर किया जा सकता है, बल्कि गैर-निर्धारित द्वारा भी कवर किया जा सकता है।

अवधि। यही कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है।

50. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 पर विचार करने का अवसर मिला था। उपरोक्त मामले में, धारा के तहत अधिसूचना

(संशोधन) अधिनियम, 1984। धारा 6 (1) के तहत अधिसूचना धारा 4 के प्रावधान के तहत निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर जारी की गई थी जैसा कि तब मौजूद थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारित अवधि पूर्व-खाली है प्रकृति में और बढ़ाया नहीं जा सकता है। पैराग्राफ 14 में ऊपर निकाला गया अवलोकन उपरोक्त संदर्भ में किया गया था। उपरोक्त निर्णय उन मुद्दों में लागू नहीं होता है, जो वर्तमान मामले में विचार के लिए आए हैं। प्रेजेंट किसी भी कारण चूक का मामला नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार की न्यायिक व्याख्या द्वारा भरने की कोशिश की जाती है।

51. श्री चौधरी ने के. प्रभाकरण बनाम पी. जयराजन, (2005) 1 एस. सी. सी. 754 पर भी इस पूर्व स्थिति के लिए भरोसा रखा है कि दोषसिद्धि को दरकिनार करने के बाद के निर्णय से अयोग्यता को समाप्त करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो केंद्र बिंदु तिथियों पर मौजूद थी। निर्णायक तिथियाँ चुनाव की तिथियाँ और नामांकन की जांच की तारीख होती हैं न कि चुनाव याचिका या उसके खिलाफ अपील में निर्णय की तारीख। के. प्रभाकरण (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वधारणा पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। वर्तमान चुनाव आयोजित करने के समय या नामांकन की जांच की तारीख पर प्रतिवादी की किसी भी प्रकार की अयोग्यता का मामला नहीं है। उपरोक्त निर्णय का कोई उपयोग नहीं है। हम, इस प्रकार, में कोई पदार्थ नहीं पाते हैं अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना कि उच्च न्यायालय उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता था, जो उत्तरदाताओं के जारी रहने [2020] 8 एस. सी. आर. का प्रभाव हो सकता है।

छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें अपना जाति वैधता प्रमाण पत्र दाखिल करना था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे मामले में अंतरिम आदेश देने में कोई बाधा नहीं है जहां उत्तरदाताओं द्वारा जाति के दावे को छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम आदेश दे दिया था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, चुनाव की पूर्वव्यापी समाप्ति की काल्पनिक कल्पना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण अमल में नहीं आ सकी, इसलिए धारा 5 बी के तहत काल्पनिक दूसरा परंतुक कभी भी अस्तित्व में नहीं आया।

उत्तरदाता के चुनाव को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त करें। हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अपीलार्थी का यह निवेदन कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को छह महीने/एक वर्ष की अवधि से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में या अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में ऐसी किसी भी बाधा को नहीं पढ़ा जा सकता है और न ही किसी भी राज्य अधिनियम से किसी भी प्रकार की बाधा को पढ़ा जा सकता है। पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं:

न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है।

((i)

अनुच्छेद 226 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है और हमारे संविधान की मूल संरचना है। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र मौलिक, असाधारण और विवेकाधीन है। उच्च न्यायालय की नजर यह देखने पर है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर किसी संवैधानिक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय के कारण अन्याय हुआ है।

संविधान।

((ख)

न्यायालयों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षक हैं

नागरिक और वे अपनी जिम्मेदारी में विफल रहेंगे यदि वे नागरिकों के प्रति अपने गंभीर कर्तव्य का त्याग करें। अनुच्छेद 226 का दायरा बहुत व्यापक है और इसका उपयोग सुधार के लिए किया जा सकता है।

जहाँ कहीं भी अन्याय पाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति ओवरराइड करती है

(iii)

किसी संविधि में किसी भी विपरीत प्रावधान और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को किसी संविधि में किसी भी विपरीत प्रावधान द्वारा हटाया या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है।

((iv) जब किसी नागरिक को किसी के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार हो।

वैधानिक प्राधिकारी का निर्णय, उच्च न्यायालय ने अभ्यास में डेनिस किन्नी v.

ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

न्यायिक समीक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए हर अधिकार क्षेत्र था ताकि समय बीतने पर याचिका निष्फल न हो। अंतरिम आदेश हमेशा एक द्वारा पारित किया जा सकता है

उच्च न्यायालय ने राहत की सहायता के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दावा किया ताकि रिट याचिका के अंतिम निर्णय के समय राहत नहीं मिल सके। निष्फल।

यह सच है कि संविधान की धारा 5 बी के तहत एक वर्ष की अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता

मुंबई नगर निगम अधिनियम अनिवार्य है।

लेकिन छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले हमारे सामने मामले के तथ्यों में, जाति जांच समिति ने अवैध रूप से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता वाले दावे को खारिज कर दिया था जिसमें रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई थी। उचित मामले में अंतरिम राहत देने की उच्च न्यायालय की शक्ति को केवल एक अवधि के लिए सीमित नहीं माना जा सकता है।

वर्ष, जिसके लिए धारा 5 बी में परिकल्पित अवधि थी

जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। उच्च न्यायालय की शक्ति पर इस तरह की किसी भी बंधन को इसके आधार पर नहीं पढ़ा जा सकता है -

धारा 5 ख का प्रावधान।

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे मामले में अंतरिम आदेश देने में कोई बाधा नहीं है जहां प्रतिवादियों के जाति दावे को छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम आदेश दे दिया था। निर्धारित किया गया।

वर्तमान मामले के तथ्यों में, चुनाव की पूर्वव्यापी समाप्ति की धारा 5 बी के तहत काल्पनिक कल्पना द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण अमल में नहीं आ सकी।

उच्च न्यायालय।

हम, उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों के लिए, निम्नलिखित तरीके से उत्तर देते हैं: -

मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5 बी, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करती है।

संविधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

((ख)

संविधान का कानूनी हस्तक्षेप करने वाला आदेश पारित कर सकता है

धारा के दूसरे परंतुक के तहत विचार के अनुसार कल्पना 5 बी, बशर्ते कि कानूनी कल्पना अमल में नहीं आई थी।

(111) 2017 की रिट याचिका No.2269 में दिनांकित 18.08.2017 का अंतरिम आदेश और साथ ही दिनांकित 02.04.2019 का विवादित अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत।

(iv) 2018 की रिट याचिका संख्या 145 में दिनांकित 22.08.2017 का अंतरिम आदेश और दिनांकित 02.04.2019 का अंतिम निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर के आदेश नहीं थे।

53. हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि यह सिविल अपील संख्या में प्रतिवादी संख्या 1 को जारी रखता है। 1429-1430 जांच समिति की रिपोर्ट को दरकिनार करने के परिणामस्वरूप जांच समिति का निर्णय लिए जाने तक 2020

विवादित निर्णय द्वारा। जहाँ तक 2020 की सिविल अपील संख्या 1431 में प्रत्यर्थी के मामले का संबंध है, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा न केवल जांच समिति के आदेश को दरकिनार कर दिया है, बल्कि प्रत्यर्थी को पिछड़े वर्ग यानी कोयरी से संबंधित घोषित कर दिया है।

54. सिविल अपील सं. 1 में प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में। 1429-1430 2020 में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने

जाति जाँच समिति के दिनांकित 30.09.2019 आदेश को अभिलिखित करें जिसके द्वारा जाति जाँच समिति ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिछड़े वर्ग से संबंधित होने के दावे को बरकरार रखा है।

55. पूर्वगामी चर्चाओं और निष्कर्षों को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय के दिनांकित विवादित फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

02.04.2019 . अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

अंकित ज्ञान

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।